फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम –जहाजपुर (भीलवाडा)

गुमान पिता काना कीर नि. बालापुरा

बनाम

बदरी पिता लालू कीर नि. बालापुरा वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 55/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
2.03.22	प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम बालापुरा प. ह. बिहाडा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 288/2 कुल किता 01 रकबा 0.3723 हैक्टेयर स्थित है। उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी अप्रार्थीगण है। जो कि भूमि की सीमा चिन्हो को लेकर आये दिन प्रार्थी से विवाद करते है। व भूमि को कम ज्यादा बताकर झगडा करते है प्रार्थी उकत विवाद के स्थाई समाधान बाबत अपनी खातेदारी व सहखातेदारों के नाम दर्ज भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। अतः पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है। मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलगन नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 तक के अवलोकन से पत्थरगढी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की हैं। पडोसियान के विवाद करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम बालापुरा प. ह. बिहाडा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 288/2 कुल किता 01 रकबा 0.3723 हैक्टेयर की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक कुराडिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500– रू. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रू. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे। आदेश आज दिनांक 2.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। Sd/- उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर(भीलवाडा)	

Scanned with CamScanner